

The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-2, Issue-3, October-2023

www.theresearchdialogue.com



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.)

डॉ. स्वाति प्रिया

सहायक प्राध्यापक

न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ एजुकेशन
सिमरिया, टीएमबीयू, भागलपुर, बिहार

सारांश:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा सिस्टम को सुधारने और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति की प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है प्रारंभिक बाल्यावस्था के क्षेत्र में सुधार करना। शिक्षा और देखभाल के इस क्षेत्र में नई नीतियों और योजनाओं की श्रेणी करना उचित होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान शिक्षा का महत्व अत्यधिक होता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास की जरूरत होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस आयाम को महत्वपूर्ण बनाया है और सामूहिक, शारीरिक, और आत्म-समर्पण की भावना को बढ़ावा देने के लिए उपायों की प्रस्तुति की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के परिणामस्वरूप बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को मूल्यांकन करना है। इस शोध से हम उच्चतम शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए संभावित सुधारने की संभावना को प्रकट कर सकते हैं जिससे कि भविष्य में बच्चों का शिक्षा संस्कृति और नैतिकता के साथ समृद्ध हो सके।

स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए वर्ष 1986 में आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में (10 § 2) प्रणाली का प्रावधान किया गया जिसमें 6 से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया, पर इसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि अनेक शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों के मस्तिष्क का लगभग 80% विकास पहले 5 वर्षों में हो जाता है, इसलिए बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में उचित देखभाल एवं शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए क्योंकि यह चरण सीखने की नींव है और अगर नींव मजबूत हो जाए तो फिर भविष्य में उस पर एक भव्य इमारत का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई वर्तमान की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बच्चों की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के महत्व को महसूस

किया और (5 + 3 + 3 + 4) प्रणाली की संकल्पना देते हुए 3 से 6 आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की समुचित व्यवस्था की है। जिससे बालक की शिक्षा की मजबूत नींव रखी जा सके और भविष्य में यह नौनिहाल बच्चे बेहतर प्रगति कर सकें, बेहतर मुकाम हासिल कर सकें और अपने जीवन काल में खुशियां अर्जित कर सकें।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बालक, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा, आदि।

बालक की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का महत्व:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा संस्कृति को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का विशेष महत्व दिया गया है। बच्चे की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह उसके जीवन की नींव रखता है, उसकी सोचने और सीखने की क्षमता को विकसित करता है, और उसे समाज में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करता है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल:

प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बच्चे के जीवन के पहले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समय में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और सही देखभाल उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, और भाषाई विकास की जरूरतों को पूरा करती है। प्रारंभिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता और उसकी समय पर देखभाल ने बच्चे को विज्ञान, गणित, भूगोल, साहित्य, और कला की ओर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

शिक्षा का महत्व:

बच्चों को शिक्षा का संबोधन करना उनके सोचने की क्षमता को विकसित करता है, उन्हें समाज में सहायक बनाता है, और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए संपूर्ण समर्थन प्रदान किया है और प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल को भी उच्चतम प्राथमिकता दी है। इससे बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलेगा जो उन्हें उच्चतम शिक्षा की ओर प्रवृत्त करेगा और उन्हें समृद्ध, समझदार, और समाज में सहायता करने के लिए तैयार करेगा।

ईसीसीई के उद्देश्य:

ईसीसीई के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. भौतिक एवं मोटर विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, नैतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना।
2. पूर्व-प्राथमिक छात्रों को संप्रेषण, भाषा साक्षरता एवं संख्यात्मक विकास के लिए मंच प्रदान करना।
3. शिक्षार्थी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना।
4. प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही बालक को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करना।
5. बालक को “आंगनबाड़ियों” से प्राथमिक स्कूलों में आसान पारगमन के लिए तैयार करना जिससे कि वह बचपन में सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले सकें।

ईसीसीई की विशेषताएं :

ईसीसीई की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

1. ईसीसीई प्रत्येक बालक की रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देता है।
2. ईसीसीई ना केवल बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर बल देता है बल्कि यह उसकी सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक क्षमताओं एवं स्वभाव के विकास में भी योगदान देता है।
3. ईसीसीई बचपन से ही शिक्षार्थी में चरित्र, आत्मविश्वास, सहयोग और अच्छी आदतों के निर्माण में मदद करेगा।
4. ईसीसीई खेल-खेल में सीखने पर बल देता है।
5. ईसीसीई बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में एक मजबूत नींव प्रदान करने का कार्य करेगा तथा छात्र का भविष्य में सीखने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ईसीसीई के सिद्धांत:

1. छात्र की अद्वितीय प्रतिभाओं, क्षमताओं को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना:- छात्र की अद्वितीय प्रतिभाओं, क्षमताओं को अगर शिक्षक समय से पहचाने और उन्हें बढ़ावा दे तो छात्र कमाल की सफलता पा सकते हैं।
2. शिक्षार्थियों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना:- बचपन की प्रारंभिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह बालक में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक का विकास कर सके, जो उसके भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
3. लचीलापन:- ईसीसीई बालक को उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार सीखने के लिए खुला अवसर उपलब्ध कराता है। यह शिक्षकों को बच्चे की प्रतिभा एवं रुचि को पहचानने में मदद करता है तथा उसी के अनुसार बालक को सीखाने के लिए शिक्षक को प्रेरित करता है। यह सीखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों को चुनने में लचीला होने का भी सुझाव देता है।
4. क्रिटिकल थिंकिंग एवं क्रिएटिविटी:- बचपन से ही हमें छोटे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग एवं क्रिएटिविटी का विकास करने के लिए उनसे हमें ओपन एंडेड प्रश्न पूछने चाहिए तथा उन्हें ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए।
5. वैचारिक समझ पर जोर देना:- प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही बालक के दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले तथ्यों और वस्तुओं के बारे में समझ विकसित करने पर बल देता है।
6. अच्छी आदतों का विकास करना:- यदि हम बचपन से ही किसी बच्चे में ऐसी अच्छी आदतों का बीज डाल दें तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि भविष्य में वह बच्चा राष्ट्र का अच्छा नागरिक बन सकेगा। स इसलिए हमें बच्चों में बचपन से ही सद्गुण जैसे स्वक्षता, दूसरे के प्रति सम्मान, सहानुभूति, समानुभूति, शिष्टाचार, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान, वैज्ञानिक स्वभाव, जिम्मेदारी व समानता को विकसित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।
7. जीवन कौशल का विकास:- जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है और बाहरी परिवेश में आता है उसे कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, इसलिए अगर हम उसमें प्रारंभिक अवस्था से ही जीवन कौशल, समस्या समाधान की कला, टीम प्रबंधन एवं सहकार की भावना को विकसित करने का पृथक्करण करें तो वह अपने दैनिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाएगा।

ईसीसीई का पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा:

1. ईसीसीई का पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बालक के मस्तिष्क विकास में सहायक हो और मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाला होना चाहिए।
2. ईसीसीई का पाठ्यक्रम लचीला, खेल आधारित, क्रियाकलाप आधारित, पूछताछ आधारित और बहु स्तरीय ज्ञान को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
3. ईसीसीई के पाठ्यक्रम में वर्णमाला, भाषाएं- आमतौर पर मातृभाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, ड्राइंग, पेंटिंग, कठपुतली, संगीत, शिल्प, नाटक आदि शामिल होने चाहिए।
4. ईसीसीई का पाठ्यक्रम तार्किक सोच एवं समस्या समाधान कौशल विकास करने वाला होना चाहिए।
5. ईसीसीई का पाठ्यक्रम बालक में संवेदनशीलता, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता, टीम भावना एवं सहयोग की भावना को विकसित करने वाला होना चाहिए।

ईसीसीई की योजना :

शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय संयुक्त रूप से ईसीसीई के पाठ्यक्रम की योजना एवं उसके क्रियान्वयन के लिए कार्य करेंगे। एक विशेष टास्क फोर्स स्कूल प्रणाली में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के सुचारु एकीकरण के लिए उचित मार्गदर्शन एवं निगरानी का कार्य करेगी।

ईसीसीई का क्रियान्वयन:

1. देशभर में ईसीसीई के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सभी वर्ग के शिक्षार्थियों को प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और आर्थिक-सामाजिक रूप से वंचितों पर विशेष ध्यान व प्राथमिकता दी जाएगी।
2. ईसीसीई की शिक्षा आंगनबाड़ियों (स्टैंडअलोन) या प्राथमिक विद्यालयों में स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से कम से कम 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
3. इन आंगनबाड़ियों में ऐसे कर्मचारियों एवं शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा जिन्होंने ईसीसीई पाठ्यक्रम का विशेष प्रशिक्षण ले रखा होगा।
4. सभी छात्र जो कि 3 से 6 वर्ष के होंगे उन्हें प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा प्रदान की जाएगी और इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को और अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा, खेल के उपकरण एवं प्रशिक्षित आंगनवाड़ी शिक्षक एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे।
5. प्रत्येक आंगनवाड़ी हवादार, बच्चों के अनुकूल वातावरण युक्त, नव निर्मित इमारतों एवं समृद्ध शिक्षण वातावरण से युक्त होंगे।
6. छोटे बच्चों का आंगनबाड़ियों से प्राथमिक विद्यालयों में गमन को सरल एवं आनंददायक बनाने के लिए बच्चों को समय-समय पर स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों में ले जाकर क्रियाकलाप कराया जाएगा और प्राथमिक विद्यालयों से परिचित कराया जाएगा।

7. आंगनवाड़ी को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ा जाएगा और आंगनवाड़ी में ज्ञान प्राप्त करने वाले बच्चों, उनके माता-पिता एवं शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाएगा और प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को तथा उनके शिक्षकों को भी आंगनवाड़ी में आमंत्रित किया जाएगा।
8. 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा “बाल-वाटिका” में पढ़ेगा जो कि ईसीसीई में प्रशिक्षित शिक्षक से युक्त होंगी।
9. बाल-वाटिका में शिक्षा खेल आधारित होगी जिनके अंतर्गत बालक में संज्ञानात्मक विकास, साइको-मोटर क्षमताओं का विकास, साक्षरता एवं संख्या के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाएगा।
10. मिड-डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के साथ-साथ इन बाल वाटिकाओं एवं आंगनबाड़ियों में भी लागू किया जाएगा ।
11. इन आंगनबाड़ियों में बालक की पढ़ाई के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य परीक्षण एवं विकास परीक्षण भी नियमित रूप से किए जाएंगे ।
12. उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसीई शिक्षकों को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं को एनसीईआरटी द्वारा विकसित ईसीसीई पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

आंगनवाड़ी शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्य:

आंगनवाड़ी शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं को कुशल बनाने के लिए उनको नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके अंतर्गत-

1. (10\$2) की योग्यता रखने वाले आंगनवाड़ी शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं को 6 माह का ईसीसीई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
2. (10+2) से कम योग्यता रखने वाले आंगनवाड़ी शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं को ईसीसीई में एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा।
3. आंगनवाड़ी शिक्षकों का कार्य बाधित ना हो इसके लिए उन्हें डीटीएच चैनलों पर प्रसारित ईसीसीई कार्यक्रमों एवं स्मार्टफोन के माध्यम से प्रशिक्षित करके योग्य एवं निपुण बनाया जाएगा।
4. आंगनवाड़ी शिक्षकों का ईसीसीई प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के “क्लस्टर रिसोर्स सेंटर” द्वारा प्रदान किया जाएगा और मूल्यांकन के उद्देश्य से एक महीने की संपर्क कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
5. दीर्घकालिक योजना के तहत राज्य सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए व्यवसायिक रूप से योग्य शिक्षकों को तैयार करेगी।
6. आदिवासी बहुल क्षेत्रों में “आश्रम शालाओं” में चरणबद्ध तरीके से ईसीसीई को लागू किया जाएगा जिससे कि आदिवासी छात्र भी ईसीसीईका लाभ प्राप्त कर सकें।

उपसंघार:

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझते हुए ईसीसीई को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्थान प्रदान किया है जो प्रशंसनीय है। क्योंकि बालक के मस्तिष्क का 90 : विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है और अगर हम 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान दे दें और उन्हें भी उचित देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करें तो इससे बच्चे की नींव मजबूत होगी और वह भविष्य में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा सकता है। इस बात की अपार संभावना है कि वह अपने देश के लिए एक उपयोगी एवं अच्छा नागरिक बनेगा। बचपन से ही उसके पास नेतृत्व क्षमता,

आत्मविश्वास, दया, मानवता, समूह में कार्य करने की कला, सहानुभूति, समानुभूति और समस्याओं को हल करने की क्षमता होगी तो वह निश्चित रूप से अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए खुशहाली लाएगा।

संदर्भ ग्रंथ

- 1 भारत में बाल्यावस्था शिक्षा नीति की समीक्षा
- 2 नई शिक्षा नीति 1986
- 3 प्रारंभिक बचपन की शिक्षा रिपोर्ट 2014
- 4 बच्चों की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा- यूनिसेफ
- 5 नई शिक्षा नीति -2020
- 6 नई शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित विभिन्न सेमिनार
- 7 विभिन्न मुख्य समाचार पत्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर मुद्रित लेख



THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed National Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-2, Issue-3, October-2023

www.theresearchdialogue.com

Certificate Number October-2023/24

Impact Factor (IIJIF-1.561)

<https://doi-ds.org/doi/10.2023-11922556>



Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. स्वाति प्रिया

for publication of research paper title

“राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा
(ई.सी.सी.ई.)”

Published in ‘The Research Dialogue’ Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-03, Month October, Year-2023.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper
must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY

